

**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)**

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील संख्या – 8/2025

जी.सी.एम.एस. सं. 2025/32

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

श्री मोतीलाल सिंघानिया  
G 37 रीको 4<sup>th</sup> फेस, पुर रोड,  
भीलवाडा 311001  
मो. 9982721581

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी)  
बांसवाडा

बनाम

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 19-03-2025

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की ओर से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 24-01-2025 पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा वांछित सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराया गया जिससे असन्तुष्ट होने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 04-03-2025 को जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को नियत तिथी को अपना पक्ष रखने दिनांक 19-03-2025 को उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 19-03-2025 को प्रत्यर्थी अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु सं. 1 से 4 तक चाही गई सूचना विशिष्टविहिन, बहुआयामी एवं खोजबीन कर सृजित किये जाने वाली थी। कार्यालय के पत्रांक 8 दिनांक 03.02.2025 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना एवं उद्देश्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को कार्यालय में उपलब्ध सूचना से सम्बन्धित अभिलेखो के नियमानुसार अवलोकन हेतु


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

उपस्थित होने व अवलोकन करने के पश्चात् विशिष्टियों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा के जवाब एवं उनकी ओर से अपीलार्थी को वांछित सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराये गये पत्र का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 24-01-2025 से 4 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। उक्त आवेदन के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि वांछित सूचना विशिष्टिविहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(B) के अनुसार चाही गई सूचना में विशिष्टियाँ अंकित करना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांक 8 दिनांक 03.02.2025 से अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के नियमानुसार अवलोकन हेतु उपस्थित होने व अवलोकन करने के पश्चात् विशिष्टियों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु अवगत कराया है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19-03-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.  
लोक सूचना अपीलार्थी प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)